COVID-19 के दौरान कचरा संग्रहण के लिए जरूरी सूचना



- 1. कचरे को 3 तरीके से अलग करने का प्रयास करें। मिश्रित कचरे का निपटान ना करें।
- 2. अपने कचरे को खाली प्लॉट या सड़क/गली के कोनों में न फेके।
- 3. ग्रीन जोन के घरों के लिए और अन्य जोन के असंक्रमित घरों के लिए:
 - a. सभी सामान्य ठोस कचरे को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार संग्रहित किया जाएगा।
 - b. सफाई कर्मचारियों को संक्रमण से बचने के लिए सूखा कचरा (अजेविक कचरा) कम से कम 72 घंटे बाद निपटाया जाना चाहिए
 - c. सभी उपयोग किए गए डिस्पोजेबल PPEs जैसे मास्क और दस्ताने को एक बंद बिन में रखा जाएगा जिसमें अन्य घरेलू हानिकारक कचरा जैसे सेनेटरी पैड, डायपर, अन्य जैव चिकित्सक कचरा, टूटे हुए कांच, अप्रयुक्त पैंट आदि है। इसे हर रोज़ ULB के नियमित ठोस कचरा संग्रह कर्मचारी को सौंप दिया जाना चाहिए।
 - a. घरेलू हानिकारक कचरे के बिन में निपटान से पहले इस्तेमाल किए गए मास्क को और दस्तानों को कम से कम 72 घंटों के लिए पेपर बैग में रखा जा सकता है। पुनः उपयोग को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए मास्क को निपटान से पहले काटना चाहिए। अलग किए गए शिविरों / घरों और होम केयर सुविधाओं के लिए: न सुविधाओं के सभी सामान्य ठोस कचरे को बायोडिग्रेडेबल, गेर बायोडिग्रेडेबल और



- घरेलू हानिकारक कचरे को अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाना चाहिए और नियमित ठोस कचरा संग्रह कर्मचारी को सौंप देना चाहिए।
- b. इस्तेमाल किए गए सभी प्पे, जैसे मास्क और दस्ताने को CBWTF ऑपरेटर या ULB द्वारा प्रदान किए गए दो स्तिरय पीले बैग में संग्रहित किया जाएगा । उपयोग किए गए मास्क और दस्ताने को पीले बिन में निपटान से पहले कम से कम 72 घंटे के लिए पेपर बैग में रखा जाएगा। उपयोग किए गए हुए मास्क का पुनः उपयोग रोकने के लिए निपटान से पहले उसे काटा जाएगा।
- c. COVID-19 की पुष्टि किया गया रोगी, जो शौचालय का उपयोग करने में असमर्थ है और जिनका मलत्याग डायपर में एकत्र किया गया है, उसे बायोमेडिकल कचरे के रूप में माना जाना चाहिए और उसे पीले बैग / कंटेनर में रखा जाना चाहिए।
- d. इन पीले बैगों को उपयुक्त आकार के अलग और निर्धारित डस्ट-बिन में रखा जा सकता है और इन कचरे को निम्नलिखित इकाई को सौंप दिया जाएगा:
 - i. स्वच्छता कर्मचारी, विशेष रूप से ULB द्वारा निर्धारित, या
 - ii. CBWTF द्वारा नियुक्त कर्मचारियों, या
 - iii. ULB द्वारा चिन्हित निर्धारित डिपॉजिट सेंटर में रख देना। इस कचरे को सौंपने की आविध ULB द्वारा तय की जाएगी।



COVID-19 के दौरान कचरा संग्रहण के लिए सूचनाएं:





- इसे ग्रीन जोन के घरों और अन्य जोन के असंक्रमित घरों से सामान्य ठोस कचरे को ULB के नियमित सफाई कर्मचारियों द्वारा तीन अलग-अलग श्रेणियों में एकत्र किया जाएगा और उचित निपटान सुविधाओं तक ले जाया जाएगा।
- 2. अलग किए गए शिविरों / घरों और होम केयर सुविधाओं से निकलने वाले कचरे का निपटान:
 - a. इन सुविधाओं का सामान्य ठोस कचरा, ULB के नियमित सफाई कर्मचारियों द्वारा, तीन अलग-अलग श्रेणियों में एकत्र किया जाएगा और उचित निपटान सुविधाओं तक ले जाया जाएगा।
 - b. इन घरों से निकलने वाले पीले बैग का कचरा :
 - i. स्थानीय निकायों द्वारा घर के दरवाजों तक जा कर कचरे को इक्कठा कर के इसे सफाई कर्मचारी को सौंप दिया जाए; या
 - ii. ULBs द्वारा स्थापित किए गए जमा केंद्रों तक पहुंचाया जाए; या
 - iii. अपने दरवाजे पर आए कचरा इकट्ठा करने वाले कर्मचारी जिसे CBWTF संचालक द्वारा लगाया गया हो, उन्हें सौंप देना।



- उचर के दरवाज़े से इक्कठा किया गया कचरा निर्धारित सफाई कर्मचारी द्वारा नगरपालिका द्वारा निर्धारित जमा केंद्र तक भेजा जाएगा अथावा पहले से सुनिश्चित कि गई कचरा प्रोसेसिंग इकाई में इक्कठा किया जाएगा।
- 4. निर्धारित डिपोजिशन सेंटर या कचरा प्रोसेसिंग इकाई में गिरा हुआ कचरा CBWTF ऑपरेटर द्वारा एकत्रित किया जाएगा और CBWTF में ले जाया जाएगा।
- 5. नगरपालिका के कचरे और बायोमेडिकल कचरे के संग्रह के लिए प्रयोग किए गए कंटेनरों / डिब्बे / ट्रॉलियों / वाहनों की आंतरिक और बाहरी परत को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से धोया जाना चाहिए।



COVID 19 के दौरान कचरा प्रसंस्करण और उसके निवारण के लिए जरूरी सूचना:



- 1. स्वच्छता कर्मचारियों का कचरे के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए तथा पर्याप्त PPE जैसे दस्ताने और मास्क पहने बिना कचरे का निपटान नहीं करना चाहिए।
- 2. किसी भी अनिधकृत व्यक्ति को उपयुक्त PPE के बिना प्रसंस्करण केंद्र(प्रोसेसिंग यूनिट) में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- कचरा प्रसंस्करण केंद्रों पर अजैविक कचरे को समय के अनुसार संग्रहित किया जाएगा।
 कचरे को मानव संपर्क से 4 दिनों के लिए अछूता छोड़ दिया जाएगा।
- छटनी के लिए जो पहले आया पहले गया (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) का अभ्यास करना चाहिए।
 हर दिन सबसे पुराना कचरा जो कम से कम 4 दिन पुराना हो, उसे छटना चाहिए।
- जैविक खाद को मानव संपर्क के बिना कम्पोस्टिंग के लिए या बायोगैस प्लांट पर भेजा जाएगा।



- 6. घरेलू हानिकारक कचरे को प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सुविधा के लिए उसी दिन भेजा जाएगा, जिस दिन कचरा प्राप्त होता है।
- 7. पीले बैग में एकत्र किए गए सभी बायोमेडिकल कचरे को उसी दिन CBWTF को भेजा जाएगा और 24 घंटे के भीतर निवारण किया जाएगा।
- 8. यदि ULB या ग्राम पंचायत में CBWTF के किसी भी ऑपरेटर के साथ कोई जुड़ाव नहीं है, तब दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बायोमेडिकल कचरे को गहराई में दफन किया जाएगा।
- 9. हर दिन के कचरे को थैले या फर्श पर तारीख डाल कर संग्रहित किया जाना चाहिए।
- 10. जितना संभव हो सके उतने अधिक दिनों तक कचरे को बिना छुए / खोले संग्रहित किया जाना चाहिए, कम से कम 4 दिन।
- 11. छटनी के लिए जो पहले आया पहले गया का अभ्यास करना चाहिए ; हर दिन सबसे पुराने कचरे, कम से कम 4 दिन पुराने कचरे को छटना चाहिए। यदि संभव हो, कचरे को धूप में रखे ताकि उसमें मौजूद वायरस सूरज की गर्मी से ख़तम हो जाए।
- 12. छंटाई वाली जगह अच्छी हवादार होनी चाहिए।



सूखा कचरा प्रसंस्करण केंद्र पर ध्यान रखने योग्य बातें:



- कचरा प्रसंस्करण केंद्र के प्रवेश द्वार पर बिना छुआ (टच-फ्री) हैंड सैनिटाइजेशन स्टेशन या हैंड वाश स्टेशन स्थापित किया जाना चाहिए (http://psa.gov.in/sites/default/files/pdf/Guidelines_dense_areas/English.pdf).
- 2. काम करने के बाद शाम को या काम शुरू करने से पहले हर सुबह कचरा प्रसंस्करण केंद्र को साफ और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए।
- संपर्क परतो जैसे दरवाजे, खिड़िकयां, कुण्डी आदि को साबुन के पानी या अल्कोहल आधारित घोल से साफ करना चाहिए।
- 4. 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या फेनोलिक कीटाणुनाशकों का उपयोग करके फर्श को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए।
- 5. केंद्र में उपयोग की जाने वाली सभी मशीनों और उपकरणों को दिन में दो बार 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट या अल्कोहल आधारित समाधान में भिगोए गए लिनन / शोषक कपड़े से साफ किया जाना चाहिए।



- 6. धातु की परतों जैसे दरवाज़े के हैंडल, सुरक्षा ताले-चाबियों आदि के लिए जहाँ पर ब्लीच का उपयोग नहीं हो सकता , वहां अल्कोहल आधारित घोल का उपयोग उन परतों को पोंछने के लिए किया जा सकता है ।
- 7. सफाई से पहले, कार्यकर्ता को रबड़ के जूते, मजबूत दस्ताने और तीन परतिय मास्क पहनना चाहिए।
- 8. सफाई के बाद, उपयोग किए जाने वाले डिस्पोजेबल PPE को पीले बैग में छोड़ देना चाहिए। पुन: उपयोगी मास्क, दस्ताने और जूते को साबुन के साथ गर्म पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए, और कम से कम आधे दिन के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए।
- 9. किसी भी अनिधकृत व्यक्ति को उपयुक्त PPE के बिना प्रसंस्करण केंद्र में प्रवेश करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए।

शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों के कर्तव्यः

COVID-19 संदिग्ध व्यक्तियों के लिए अलग किए गए शिविर और अलग किए गए गृह / होम केयर, आदी से उत्पन्न बायोमेडिकल कचरे का सुरक्षित संग्रह और निपटान सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें जिम्मेदार हैं। उनके कर्तव्यों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- प्रत्येक अलग किया गया शिविर / अलग किया गया घर / होम-केयर कि जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास उपलब्ध होनी चाहिए और समय-समय पर SPCBs को अपडेटेड सूची प्रदान करनी चाहिए।
- अलग किए गए शिविरों के मामले में, यह सुनिश्चित करें कि ULB द्वारा पहचाने जाने वाला बायोमेडिकल कचरा, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटीज (CBWTFS) द्वारा सीधे एकत्र किया जाए। बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न होने पर अलग किए गए शिविरों से कचरा CBWTFS द्वारा उठाया जाएगा। अलग किए गए शिविरों में CBWTF ऑपरेटर कि संपर्क सूची प्रदान करना।
- CBWTFS के कर्मचारियों को अधिकार सहित आवश्यक सहायता, सुरक्षा प्रदान करना;



- ULB / GP, अलग किए गए घर / होम केयर या कचरा निक्षेपण केंद्रों से या स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर घर जाकर एकत्र किए गए बायोमेडिकल कचरे के अंतिम निपटान के लिए CBWTF ऑपरेटर को संलग्न करेगा; ULB / GP इस संबंध में CBWTF के साथ समझोता करेगा।
- ULB / GP, अलग किए गए घरों / होम केयर से सुरक्षित संग्रह और बायोमेडिकल कचरे के निपटान की सुविधा के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपयोग करता है;
 - बायो मेडिकल कचरे को घर के दरवाजे से उठाने के लिए अधिकृत कचरा संग्राहकों को लगाना तथा उस एकत्र किए गए कचरे को आगे पहोचाना ताकि CBWTF उसे वहा से उठा सके,; और/या
 - अगर वहां पर क्वारंटाइन किए गए घर या होम केयर यूनिट की संख्या कम है तो ULB, कचरे को सीधे घरों से उठाने के लिए CBWTF की सेवाओं का उपयोग कर सकती है।
- अलग किए गए शिविर या होम केयर के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को पीले रंग के बैग (BMW के लिए निर्धारित) प्रदान करें। यदि आवश्यकता हो, तो इस तरह के बैग CBWTF के माध्यम से भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- ULB / GP निम्नलिखित कारणों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय करेगा:
 - यदि ULB या GP उस राज्य से संबंधित है जिसमें CBWTFS नहीं है या यदि वह ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है, जिसमें CBWTFS की पहुंच नहीं है, तो किसी भी अस्पताल की मौजूदा सुविधाओं को BMW नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार COVID- 19 से सम्बन्धित कचरे के निपटान के लिए पहचाना जा सकता है। इसमें जैव-चिकित्सा कचरा नियम 2016 के अनुसूची ॥ में निर्धारित मानकों के अनुसार पीली श्रेणी के कचरे के निपटान के लिए गहरे दफन गड़ों के उपयोग की अनुमित शामिल हो सकती है।
 - बड़ी मात्रा में पीले रंग के (लाइलाज) COVID-19 के कचरे के उत्पादन के मामले में, मौजूदा TSDFS में HW इंसेनरेटर का उपयोग करने की अनुमित प्राप्त करें ताकि उसी कचरे को रखने और संभालने के लिए अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
- अलग किए गए घरों/होम केयर सुविधाओं के लिए अधिकृत कचरा संग्राहकों द्वारा घर जाकर या कचरा संग्रह केंद्र पर से कचरा एकत्र करने के लिए ULB/GP निम्नलिखित बातो का ध्यान रखेंगे।
 - उन श्रमिकों की अलग टीम बनाए जो घर घर जा कर कचरा इक्कठा करने के लिए
 डिपोसिट केन्द्रो या अलग किए गए घरों या होम केयर में संलग्न होंगे।



- सुनिश्चित करें कि केवल निर्धारित कर्मचारी ही अलग किए गए घरों या होम केयर से बायोमेडिकल कचरा एकत्र करता हो।
- CBWTF ऑपरेटरों के माध्यम से बायोमेडिकल कचरे को संभालने के लिए कचरा संग्राहकों को स्वच्छता के तरीकों, बायोमेडिकल कचरे के संग्रह, बायोमेडिकल कचरे को संभालने के लिए एहतियाती उपायों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- अलग किए गए घरों या होम केयर केंद्रों से कचरे को संभालने और संग्रह करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त कार्मिक सुरक्षा उपकरण जैसे कि तीन-परत मास्क, स्प्लैश प्रूफ एप्रन / गाउन, मजबूत दस्ताने, रबर के जूते और सुरक्षा चश्मे दिए जाएंगे। अलग किए गए केंद्र / अलग किए गए घरों / होम केयर / कचरा निपटान केंद्रों से कचरे का संग्रह करते समय इन PPEs को हर समय पहना जाना आवश्यक है।
- बायोमेडिकल कचरे के परिवहन के लिए समर्पित गाड़ियों / ट्रॉलियों / वाहनों का उपयोग करें। प्रत्येक यात्रा के बाद 1% हाइपोक्लोराइट वाले वाहनों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि, अलग किए गए केंद्र या होम केयर पर पहुंचने वाले कचरा संग्राहक पीले बैग के लिए इस्तेमाल किए गए बिन पर कीटाणुनाशक (1% हाइपोक्लोराइट स्वच्छक) का छिड़काव करेंगे।
- बायोमेडिकल कचरे के संग्रह / प्राप्ति के लिए सामान्य कचरा निक्षेपण केंद्रों (SWM नियमों, 2016 के तहत निर्धारित) की स्थापना करें। इस प्रयोजन के लिए, मौजूदा धलौस / शुष्क कचरा प्रसंस्करण केंद्र यदि कोई उपयुक्त रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। यहां जमा किए गए बायोमेडिकल कचरे को प्राप्ति के साथ तुरंत निपटाया जाएगा।
- अलग किए गए घरों या होम केयर से एकत्र किए गए सामान्य ठोस कचरे को SWM नियम,
 2016 के अनुसार निपटाया जाएगा।
- COVID 19 आइसोलेशन वार्ड, अलग किए गए शिविर, आदि सिहत अस्पतालों से उत्पन्न जैव चिकित्सा कचरे के संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान के लिए CBWTFS से जुड़ी सेवाओं और उनसे जुड़े कर्मचरियों को स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के रूप में एक आवश्यक सेवा माना जा सकता है।
- CBWTFS के सुचारू संचालन को सुगम बनाना।
- नियमित कचरा संग्रह के लिए, निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:
 - o स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक SOP तैयार करें



- विभाग / ULB स्तर पर SOP के कार्यान्वयन का नेतृत्व और निगरानी करने के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करें।
- स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सामाजिक दूरी और महत्वपूर्ण सावधानियों पर उन्मुखीकरण प्रदान करें।
- हाथ से संचालित थर्मामीटर खरीदें और काम के लिए रिपोर्टिंग करते हुए स्वच्छता कर्मचारियों की रोज थर्मल स्क्रीनिंग करें।
- o नियमित स्वच्छता कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य उपकरण प्रदान करें।
- यदि किसी कार्यकर्ता को बुखार या किसी COVID से संबंधित लक्षणों के साथ पाया जाता है, तो उसे सलाह के लिए हेल्थकेयर सेंटर भेजा जाना चाहिए।
- 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे जब तक स्थिति सामान्य हो तब तक कार्य पर ना आए।
- कोरोना के बारे में जागरूकता फैलाने वाले प्रत्येक वार्ड में रेडियो घोषणाएं की जानी चाहिए, यह लक्षण है, इसे फैलने से रोकने के लिए कदम, लक्षणों के मामले में संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर, अगर लक्षण दिखाई जाते है, इस्तेमाल किए गए मास्क को कैसे निपटाना है और कैसे संक्रमित / विच्छेदित घरों से कचरे को निपटाना है।
- यदि कार्यकर्ता समूहों में हैं, तो छोटे समूहों को बनाए रखें और कई दिनों तक उसी समूह में रहें, ताकि यदि कोई COVID-19 से ग्रस्त है तो उसके साथ अन्य लोगों की पहचान करना और उन्हें अलग करना आसान हो जाए।
- मौजूदा जमीनी स्थितियों और व्यवहार्यता को ध्यान में लेते हुए स्थानीय एजेंसी और ULB अतिरिक्त उपाय कर सकते हैं, हालांकि इस तरह के उपायों को लागू करते समय इन दिशानिर्देशों में उल्लिखित आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए।



नियमित सफाई कर्मचारियों को कार्य उपकरण उपलब्ध करवाना



- 1. काम के दौरान पहना जाने वाला एक एप्रन या एक कोट।
- 2. रबर के दस्ताने और जूते जिन्हें धोया जा सकता है और सुखाया जा सकता है और जिसमें अच्छी अवरोधक क्षमता हो।
- 3. दोबारा उपयोग में लिए जाने वाले कपड़े के मास्क (5-6).
- 4. यदि संभव हो, आंख के लिए चश्मे उपलब्ध कराए जा सकते है।
- 5. साबुन घोल / स्टेरलाइजर बोतल / साबुन पट्टी।
- 6. अल्कोहल आधारित घोल या ब्लीच का घोल वस्तुओं और सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए और स्प्रे पंप या बोतल।
- 7. इस्तेमाल किए गए मास्क को रखने के लिए साफ बैग, अतिरिक्त ताजा मास्क और कपड़ों की एक अतिरिक्त जोड़ी।
- 8. आईडी कार्ड जो उन्हें शहर / कस्बों में जाने की अनुमित देता है।
- 9. मोबाइल फोन आदि की सफाई के लिए: अल्कोहल आधारित 70% इथेनॉल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल का स्वच्छक, एक माइक्रोफ़ाइबर कपड़े के साथ इस्तेमाल किया जाता है।
- 10. संक्रमित / अलग किए गए घरों से आने वाला कचरा और अन्य घरों से आने वाले बायो मेडिकल कचरे के संग्रह के लिए पीले बैग।

